

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना मौदहा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-** 223/2020 **धारा**–302,201,34,120बी भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **एडीजे प्रथम कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र मंगल सिंह नि0 रीवन थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।



अभियोजक एडि. डीजीसी श्री मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-निरी0 मनोज कुमार शुक्ला



पैरोकार- थाना मौदहा का0 शुभम यादव